<u>न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी</u> चन्देरी जिला—अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.—531/06 संस्थित दिनांक— 30.11.2006

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

 शेरसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह बुंदेला उम्र 38 साल निवासी— ग्राम बारी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 06.03.17 को घोषित)

- 01— अभियुक्त के विरूद्ध आयुद्ध अधिनियम की धारा—25 / 27 के आरोप है कि वह दिनांक—27. 08.06 को करीबन 06:00 बजे स्थान प्राणपुर के पास राजघाट रोड तरफ अपने आधिपत्य में बिना किसी वैद्य अनुज्ञप्ति के 315 बोर का एक देशी कट्टा व जिंदा कारतूस रखे हुये पाये गये।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक—27.08.2006 को सहायक उपनिरीक्षक दयासागर सिंह अपराध कमाक—212/06 धारा—498ए/34 भा0द0वि0 के अभियुक्त की तलाश करने राजघाट यूपी गये थे। वापिस लौटते समय ग्राम प्राणपुर के पास राजघाट तरफ थाने के अपराध कमांक—151/06 धारा—323, 294, 506 भा0द0वि0 इस्तगासा कमांक—10/06 धारा—110 जफता फोजदारी में फरार अभियुक्त शेरसिंह दिखा। जिसने पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया जिसे हमराह फोर्स की मदद से पकडा। अभियुक्त की तलाशी ली तो उसके कमर की बेल्ट से एक 315 बोर का देशी कट्टा जिससे बैरल में एक जिंदा कारतूस मिला। कट्टा व कारतूस रखने बाबत अभियुक्त से लाईसेस चाहा तो उसने कोई लाईसेंस न होना बताया। अभियुक्त का उक्त कृत्य धारा—25/27 आर्म्स एकट के तहत दण्डनीय होने से आपराधिक संपत्ति जप्त कर जप्तीपत्रक निर्मित किया तद्पश्चात थाने वापिसी आकर अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक—225/06 अंतर्गत धारा—25/27 आयुद्ध अधिनियम के तहत

प्रकरण दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0—3 लेखबद्ध की गई प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03— अभियुक्त को उसके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध का आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।
- 04— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या अभियुक्त ने दिनांक—27.08.06 को करीबन—06:00 बजे स्थान प्राणपुर के पास राजघाट रोड तरफ अपने आधिपत्य में बिना किसी वैद्य अनुज्ञप्ति के 315 बोर का एक देशी कट्टा व जिंदा कारतूस रखे हुये पाये गये ?
 - 2. दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

विचारणीय प्रश्न कमांक 1 व 2 का विवेचन एवं निष्कर्ष-

- 05— सहायक उपनिरीक्षक दयासागर सिंह अ०सा० 2 का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि वह दिनांक—27.08.06 को अपराध कमांक—212/06 अंतर्गत धारा—498ए/34 भा0द0वि0 के मुल्जिम की तलाश में शासकीय वाहन से हमराह फोर्स के साथ राजधाट यूपी गया था। जिसके संबंध में उसने थाने पर रवानगी साना कमांक—1200 दिनांक—27.08.06 पर दर्ज की थी। इस साक्षी के अनुसार लौटते समय उसे थाने के अपराध कमांक—151/06 अंतर्गत धारा—323, 294, 506बी भा0द0वि0 एवं इस्तगासा कमांक—10/06 अंतर्गत धारा—110 द0प्र0स0 का फरार अभियुक्त शेरसिंह बुंदेला निवासी बारी का ग्राम प्राणपुर के पास आम रोड पर दिखा जिसे मय फोर्स के उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया।
- 06— घटना दिनांक—27.08.06 को दयासागर सिंह (अ0सा0 2) शासकीय वाहन से हमराह फोर्स के साथ अपराध क्रमांक—212/06 अंतर्गत धारा—498ए/34 भा0द0वि0 के आरोपी की तलाश में थाने से रवानगी डालकर राजघाट तरफ गये थे, इसको प्रमाणित करने के लिये दयासागर सिंह (अ0सा0 2) के द्वारा घटना दिनांक—27.08.06 का मूल सान्हा रिजस्टर प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है जिसके सान्हा क्रमांक—1200 पर दिनांक—27.08.06 को दयासागर सिंह (अ0सा0 2) की अपराध क्रमांक—212/06 के आरोपी के तलाश में राजघाट के लिये रवानगी 15:35 बजे दर्ज की गई। हालांकि हमराह फोर्स में कौन

कौन साथ गया था इस संबंध में दयासागर सिंह (अ०सा० 2) ने अपने न्यायालीन कथनों में स्पष्ट नही किया है परन्तु रवानगी सान्हा प्र०पी०—4 से यह स्पष्ट होता हे कि दयासागर सिंह (अ०सा० 2) के साथ दिनांक—27.08.06 को प्रधान आरक्षक जयदेव सिंह (अ०सा० 1) व प्रधान आरक्षक महेश कुमार (अ०सा० 5) कि भी रवानगी दर्ज की गई।

- 07— जयदेव सिंह (अ०सा० 1) व प्रधान आरक्षक महेश कुमार (अ०सा० 5) ने स्वयं अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि वह दिनांक 27.08.06 को सहायक उपनिरीक्षक दयासागर सिंह (अ०सा० 2) के साथ राजघाट तरफ आरोपी की तलाश में गये थे। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं प्रस्तुत किये गये रवानगी सान्हा प्र०पी०—4 से यह प्रमाणित होता है कि दिनांक—27.08.06 को दयासागर सिंह (अ०सा० 2) हमराह फोर्स जयदेव सिंह (अ०सा० 1) व प्रधान आरक्षक महेश कुमार अ०सा० 5 के साथ जीप से थाने पर रवानगी डाल कर अन्य अपराध में आरोपी के तलाश के लिये राजघाट उत्तर प्रदेश गये थे।
- 08— दयासागर सिंह (अ०सा० 2) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि राजघाट से वापिसी के दौरान उन्हें प्राणपुर के पास रोड पर अभियुक्त शेरसिंह दिखा था जो कि थाने के अन्य अपराध कमांक 151/06 व इस्तागासा कमांक 10/06 में फरार था तथा उक्त अभियुक्त पुलिस की देखकर भागा था, जिसे हमराह फोर्स की मदद से मौके पर पकड़ा था। दयासागर सिंह (अ०सा० 2) का कहना है कि अभियुक्त को पकड़ने के उपरांत उसकी तलाशी लेने पर पेंट की बेल्ट में लगाये हुये एक देशी 315 बोर का कटटा तथा कट्टे की बैरल में एक जिंदा कारतूस अभियुक्त लगाये हुये मिला। जिसको रखने का उसके पास वैद्य लाइसेंस न होने पर मौके पर ही आरोपी से कट्टा व कारतूस साक्षियों के समक्ष जप्तकर जप्ती पंचनामा प्र0पी0—2 तैयार कर आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र0पी0—1 बनाया था तथा कटटे का रेखाचित्र प्र0पी0—3 भी तैयार किया था। इस साक्षी ने प्र0पी0—1, 2 व 3 पर हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किये हैं।
- 09— सहायक उपनिरीक्षक दयासागर सिंह (अ०सा० 2) के द्वारा दिये गये न्यायालीन कथनों की पुष्टि स्वयं उसके द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपार्ट प्र0पी0—3 से भी होती है। अभियोजन की ओर से प्रकरण में जप्ती व गिरफतारी के साक्षी प्रधान आरक्षक जयदेव सिंह (अ०सा० 1) एवं प्रधान आरक्षक महेश कुमार (अ०सा० 5) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं, जिसमें इन दोनों ही साक्षियों ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की पुष्टि की है कि दिनांक 27.08.06 को जब वह सहायक उपनिरीक्षक दयासागर सिंह (अ०सा० 2) के साथ राजघाट तरफ से वापिस आ रहे थे तब अभियुक्त उन्हें प्राणपुर के पास मिला था, जो पुलिस को देखकर भागने लगा था जिसे मौके पर पकडा था।
- 10— जयदेव सिंह (अ0सा0 1) ने अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि वह घटना दिनांक को जीप से गये थे और जब लौटकर वापिस आ रहे थे, तो प्राणपुर हनुमान जी

के मंदिर के पास अभियुक्त जीप देखकर भागने लगा था जिसे जीप रोककर दरोगा जी महेश व उसने दौडकर पकड़ा था, इसी प्रकार महेश कुमार (अ०सा० 5) ने भी अपने मुख्य परीक्षण में यह व्यक्त किया है कि प्राणपुर के पास अभियुक्त पुलिस को देखकर भागा था, जिसे देखकर उन लोगों ने पकड़ा था। इन दोनो ही साक्षियों ने अपने न्यायालीन कथनों में दयासागर सिंह (अ०सा० 2) के कथनों की पुष्टि करते हुये, यह कथन दिये है कि मौके पर अभियुक्त तलाशी लेने पर उसके पास से एक 315 का बोर का कटटा तथा उसकी बैरल में जिंदा कारतूस अभियुक्त से सहायक उपनिरीक्षक दयासागर सिंह (अ०सा० 2) के द्वारा जप्त किया गया था तथा मौके पर अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया गया था।

- 11— दयासागर सिह (अ०सा० 2) ने दिनांक—27.08.06 को राजघाट से लौटते समय प्राणपूर के पास अभियुक्त को घेर कर मौके पर पकडा गया था और तलाशी में उसके आधिपत्य से 315 बोर का कटटा मय बैरल में लगे हुये जिंदा राउण्ड के साथ मौके पर ही अभियुक्त को गिरफतार किया था, इस संबंध में साक्षी सहायक उपनिरीक्षक दयासागर सिंह (अ0सा0 2) के न्यायालीन साक्ष्य अखिण्डत है तथा इस साक्षी की संपूर्ण साक्ष्य में कोई तात्विक विरोधाभाष नही है। जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षी प्रधान आरक्षक जयदेव सिह (अ०सा० 1) व प्रधान आरक्षक महेश कुमार (अ०सा० 5) के द्वारा भी अपने न्यायालीन कथनों दयासागर सिह (अ०सा० 2) के द्वारा मौके पर अभियुक्त से कट्टा व कारतूस जप्त कर उसे गिरफतार करने की कार्यवाही का समर्थन करते हुये उक्त सारी कार्यवाही अपने सामने मौके पर होना बताया है तथा जप्ती पत्रक प्र0पी0-2 व गिरफतारी पत्रक प्र0पी0-1 की लिखा पढी भी मौके पर ही कि जाने के संबंध में अखण्डित साक्ष्य दिये। जिससे इस संबंध में कोई संशय की स्थिति नही रह जाती कि राजघाट से वापिसी के समय दयासागर सिंह (अ०सा० 2) सहित प्रधान आरक्षक जयदेव सिंह (अ०सा० 1) व प्रधान आरक्षक महेश कुमार (अ०सा० 5) को प्राणपुर के पास अभियुक्त संदिग्धं अवस्था में मिला था, जो पुलिस की देखकर मौके से भागा था जिसे घेर कर पकड़ने पर एवं तलाशी लेने पर उसके आधिपत्य से एक 315 बोर का देशी हाथ का बना हुआ कट्टा व जिंदा कारतूस बैरल में लगा हुआ बरामद हुआ था।
- 12— सहायक उपनिरीक्षक दयासागर सिह (अ०सा० 2) ने अपने न्यायालीन कथनों में कट्टे की पहचान के संबंध में कट्टे का रेखाचित्र प्र०पी०—3 मौके पर ही तैयार किया है, जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया है। प्रकरण में जप्त शुदा कट्टा और कारतूस को अभियोजन द्वारा दयासागर सिंह (अ०सा० 2) के साक्ष्य के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत कट्टे को आर्टिकल A व राउण्ड को आर्टिकल B से चिन्हित किया गया। न्यायालय में प्रस्तुत कट्टा देशी हाथ का बना हुआ पाया गया, जिसकी नाल लोहे के पाईप की थी तथा कट्टे की बॉडी पीतल की होकर उस पर लकडी का बट था तथा नाल की लंबाई 6.5 इंच एवं कुल लंबाई 9.5 इंच पाई गई थी।

- 13— दयासागर सिंह (अ०सा० 2) सिंहत जप्ती व गिरफ्तारी साक्षियों की साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि जप्ती पत्रक प्र0पी0—2 साक्षियों के समक्ष अभियुक्त से कट्टा व कारतूस जप्त करने के उपरांत तैयार किया गया है, तथा जप्ती पत्रक में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि कट्टे की ट्रिगर, घोडा पीतल के होने का लेख है तथा कट्टे का बट लकडी का होना लेख है तथा कट्टे के नाल की लंबाई करीबन 6 इंच एवं कुल लंबाई करीबन 11 इंच होना लेख है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण में जप्त शुदा कट्टा आर्टिकल A का जो हुलिया पाया गया है, उसी प्रकार के कट्टे का उल्लेख जप्ती पत्रक प्र0पी0—2 में भी किया गया है। जप्तशुदा कट्टे की जांच आर्म्स मोहरिर्र गंगाराम यादव (अ०सा० 3) के द्वारा की गई है जिसके कथन अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में कराये गये है तथा उसकी जांच रिपोर्ट प्र0पी0—7 प्रकरण में प्रस्तुत हैं।
- 14— आर्म्स मोहर्रर गंगाराम यादव (अ०सा० 3) ने अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि दिनांक—02.11.06 को अपराध कमांक—225 / 06 में जप्तशुदा कट्टा व राउण्ड थाने के तहरीर सिहत जप्ती चिट लगा हुआ, जांच हेतु उसे प्राप्त हुआ था। इस साक्षी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कट्टा हाथ का बना हुआ 315 बोर का था जिसकी बॉडी पीतल की थी व बैरल लोहे का था और कटटे का बट लकडी का था तथा कट्टे की कुल लंबाई 10 इंच व बैरल की लंबाई 5.5 इंच थी। अतः आर्म्स मोहरिर्र गंगाराम अ०सा० 3 के द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई है कि उसे जांच हेतु जो कटटा प्राप्त हुआ था उसका नाल लोहे का था तथा बट लकडी का था तथा कटटे की बॉडी पीतल की थी। अतः यह स्पष्ट होता है कि गंगाराम (अ०सा० 3) के द्वारा जांच हेतु प्राप्त कटटे का जो विवरण न्यायालय में कथनों में एंव अपने रिपोर्ट प्र०पी०—7 में बताया गया है, वही कट्टा मौके पर दयासागर सिह (अ०सा० 2) के द्वारा जप्ती पत्रक प्र०पी०—2 के अनुसार अभियुक्त से जप्त किया गया था तथा उसी कटटे को आर्टिकल A से चिन्हित भी किया गया।
- 15— अतः जप्ती पत्रक प्र0पी0—2 में अभियुक्त से जप्तशुदा कट्टे का जो विवरण उल्लेखित है। आर्म्स मोहरिर गंगाराम यादव (अ०सा० 3) ने भी वैसे ही कट्टे को इस प्रकरण के अपराध कमांक—225/06 में जांच के लिये पुलिस लाईन में प्राप्त होना बताया है और जब प्रकरण में जप्तशुदा कट्टा व कारतूस न्यायालय में प्रस्तुत हुये और उन्हें आर्टिकल ए से बी से चिहित किया गया तो यह पाया गया कि कट्टे का जो विवरण जप्ती पत्रक में उल्लेखित है एवं जिस प्रकार के कट्टे की जांच गंगाराम यादव (अ०सा० 3) ने करके प्र0पी0—7 की रिपार्ट तैयार की है उक्त कट्टा और आर्टिकल ए का कट्टा एक ही है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि जप्तीकर्ता अधिकारी दयासागर सिह (अ०सा० 2) के द्वारा जप्ती पत्रक प्र0पी0—2 के अनुसार मौके पर साक्षियों के समक्ष जो कट्टा व कारतूस जप्त किया गया था वही कट्टा आर्टिकल ए के रूप में न्यायालय में

चिहित किया गया है और उसी कट्टे की जांच आर्म्स मोहर्रिर गंगाराम यादव (अ०सा० 3) के द्वारा की गई है।

- 16— आर्म्स मोहरिर गंगाराम यादव (अ०सा० 3) ने अपने न्यायालीन कथनों में यह स्पष्ट किया है कि जांच हेतु उसे प्राप्त प्रकरण में जप्तशुदा कट्टे के पिन फाईरिंग व हैमर ठीक से कार्य कर रहा था तथा कट्टा चालू हालत में था और उससे फायर हो सकता था। दयासागर सिह (अ०सा० 2) के द्वारा भी न्यायालय में कट्टे को खाली चलाकर देखा गया था, जो कि चलती हुई अवस्था में पाया गया था। कट्टा चालू हालत में एवं सही कार्य कर रहा था, इस तथ्य को एवं गंगाराम यादव (अ०सा० 3) के द्वारा दिये गये अभिमत को बचाव पक्ष की ओर से कोई विशेष चुनौती नही दी गई । जिससे इस साक्षी के द्वारा दिया गया अभिमत एव तैयार की गई जांच रिपोर्ट प्र०पी०—7 पर अविश्वास करने का कोई कारण अभिलेख पर नही है।
- 17— आर्म्स क्लर्क मनोहर दुबे (अ०सा० 4) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में इस बात की तस्दीक कि हैं की प्रकरण में जप्तशुदा कट्टे से संबंधित अपराध क्रमांक—225/06 की केस डायरी सिहत जप्तशुदा देशी कट्टा व कारतूस अभियोजन स्वीकृति हेतु दिनांक—25.06.06 को जिला दण्डाधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुआ था। जिसके अवलोकन उपरांत तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी मुकेश चंद गुप्ता के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति दी गई थी। इस साक्षी प्र0पी0—8 के आदेश पर तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी के हस्ताक्षरों की पहचान की है तथा उनके निर्देशन में प्र0पी0—8 का आदेश टंकित करना बताया है। इस साक्षी के भी उपरोक्त कथन विरोधाभास रहित हैं जो कि विश्वानीय हैं। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि दयासागर सिह (अ०सा० 2) के द्वारा प्रकरण में जप्त किया गया कट्टा चालू हालत में था तथा राउण्ड भी जिंदा था तथा उक्त कट्टे व कारतूस अवैध रूप से अभियुक्त द्वारा अपने आधिपत्य में रखे जाने के संबंध में उसके विरूद्ध विधिवत् अभियोजन चलाने की स्वीकृति तत्कालीन डी०एम० मुकेश चंद गुप्ता द्वारा प्र0पी0—8 के आदेश से प्रदान की थी।
- 18— अनुसंधानकर्ता अधिकारी रामदास (अ०सा० 6) ने भी प्रकरण में कि गई विवेचना की पुष्टि की है तथा उसके द्वारा जो विवेचना के क्रम में साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये हैं, उन कथनों की पुष्टि करते हुये ही साक्षी जयदेव सिंह (अ०सा० 1) व मुकेश (अ०सा० 3) ने न्यायालय में कथन दिये हैं।
- 19— बचाव पक्ष की ओर विद्धान अधिवक्ता ने कट्टे के माप के संबंध में न्यायालय में दयासागर सिंह (अ0सा0 2) के परीक्षण के दौरान लिये गये माप एवं जप्तीपत्रक में

उल्लेखित जप्तशुदा कट्टे के माप में आये अंतर को चुनौती दी है तथा गंगाराम यादव (अ०सा० 3) के द्वारा कट्टे के माप के संबंध में दिये गये कथनों पर भी विशेष बल देते हुये यह प्रतिरक्षा ली है कि जप्तशुदा कट्टे में एवं न्यायालय में प्रस्तुत एवं जांच के लिये भेजे गये कटटे के माप में अंतर है। इस संबंध में यह उल्लेख करना उचित होगा कि जप्तीपत्रक प्र0पी0—2 में जप्तीकर्ता अधिकारी दयासागर सिंह (अ०सा० 2) के द्वारा कट्टे के बैरल की लंबाई 6 इंच एवं कुल लबाई 11 इंच अनुमानित लेख की है जो कि उनके द्वारा उल्लेखित शब्द "करीबन" से होती है। जबिक न्यायालय के समक्ष जप्त कटटे को प्रस्तुत किया गया है तो उसका माप स्केल मापकर अंकित किया गया है। अतः ऐसे में उपरोक्त अंतर कट्टे के माप के संबंध में आना स्वाभाविक है।

- 20— गंगाराम यादव (अ०सा० 3) के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में कट्टा व कारतूस जप्ती की चिट लगा हुआ प्राप्त होने का उल्लेख किया है जिसकों चुनौती देते हुये बचाव पक्ष के द्वारा इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में कट्टा व कारतूस सील्ड न होने की प्रतिरक्षा लेते हुये, प्रकरण में की गई जप्ती कार्यवाही को चुनौती दी है। निश्चित रूप से साक्षी गंगाराम यादव (अ०सा० 3) एवं स्वयं दयासागर सिह (अ०सा० 2) के कथनों से प्रकरण में जप्त शुदा कट्टा व कारतूस मौके पर सील्ड किया जाना प्रमाणित नहीं होता है, परन्तु यदि कट्टे की पहचान सुनिश्चित हो तथा जप्तशुदा कट्टा ही जांच एवं अभियोजन स्वीकृति के लिये भेजा गया एवं जप्ती पत्रक में कट्टे के पहचान का स्पष्ट उल्लेख हो तो वहा कट्टे को मौके पर सील्ड न किये जाने से प्रकरण में कि गई जप्ती की कार्यवाही दूषित नहीं हो जाती। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत Bilal Ahmed Kaloo vs State Of Andhra Pradesh on 6 August, AIR 1997 SC 348 में प्रतिपादित विधि अवलोकनीय है, जिस पर उपरोक्त अभिमत आधारित है।
- 21— प्रकरण में जप्ती व गिरफतारी के साक्षी पुलिस के ही साक्षी प्रधान आरक्षक जयदेव सिंह (अ0सा0 1) व महेश कुमार (अ0सा0 5) हैं। जिनके संबंध में बचाव पक्ष द्वारा दयासागर सिंह (अ0सा0 2) के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका—6 में यह चुनौती दी गई है कि जप्ती में गांव के निष्पक्ष लोगों को गवाह नहीं बनाया गया। जिसके संबंध में स्वयं दयासागर सिंह (अ0सा0 2) का कहना है कि उनके पास समय नहीं था, इसलिए गांव के लोगों को गवाह नहीं बनाया। यह उल्लेखनीय है कि अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि दयासागर सिंह (अ0सा0 2) अपराध कमांक—212/06 के मुल्जिम की तलाश में हमराह फोर्स के साथ राजघाट गये थे और वहां से लौटते में प्राणपुर के पास अभियुक्त पुलिस की गांडी को देखकर भागा था। जिससे स्पष्ट है कि दयासागर सिंह (अ0सा0 2) पूर्व नियोजित किसी की सूचना पर अभियुक्त को पकड़ने नहीं गये थे, बल्कि वापिस लौटते समय अचानक उन्हें अभियुक्त रास्ते में मिल गया था जो उन्हें देखकर भागा था क्योंकि उसकी अन्य प्रकरणों में भी तलाश थी अतः ऐसे में उस समय गांव के स्वतंत्र साक्षियों को इकट्ठा करने से ज्यादा महत्वपूर्ण अभियुक्त को उपलब्ध व्यक्तियों के समक्ष पकड़ना था, जो कि दयासागर सिंह (अ0सा0 2) के द्वारा किया गया, मात्र इस कारण

से की जप्ती के साक्षी पुलिस कर्मी हैं उनकी साक्ष्य पर अविश्वास नही किया जा सकता। जप्ती व गिरफ्तारी के साक्षी जयदेव (अ०सा० 1) व महेश (अ०सा० 5) ने दयासागर सिंह (अ०सा० 2) के द्वारा की गई जप्ती व गिरफतारी की कार्यवाही के समर्थन में कथन दिये हैं। जिनमें कोई तात्विक विरोधाभास नही है।

- 22— दयासागर सिंह (अ०सा० 2) के द्वारा दिये गये न्यायालीन कथन उसके संपूर्ण परीक्षण में अखिण्डत रहे है तथा बचाव पक्ष दयासागर सिंह (अ०सा० 2) के द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में ऐसी कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं कर सका है जिससे दयासागर सिंह (अ०सा० 2) के द्वारा न्यायालीन कथनों में कथित घटना एवं मौके पर की गई कार्यवाही को संदेह की दृष्टि से देखा जा सके। दयासागर सिंह (अ०सा० 2) के द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन जप्ती व गिरफतारी के साक्षी जयदेव (अ०सा० 1) व महेश कुमार (अ०सा० 3) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में किया है जिनके कथनों में बचाव पक्ष कोई तात्विक विरोधाभास उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ है। जप्तशुदा कट्टा व कारतूस चालू एवं जिंदा हालत में था यह आर्म्स मोहिर्र गंगाराम यादव (अ०सा० 3) की साक्ष्य एवं उसकी द्वारा तैयार की जांच प्र०पी०—7 से प्रमाणित हैं तथा अभियुक्त के विरुद्ध विधिवत अभियोजन चलाने की स्वीकृति प्र०पी०—8 के आदेश से तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रदान की गई यह मनोहर दुबे (अ०सा० 4) की साक्ष्य से प्रमाणित होता है। प्रकरण में प्रस्तुत रवानगी सान्हा प्र०पी०—4 सी एवं वापसी सान्हा प्र०पी०—5 सी की सत्यता को कोई चुनौती बचावपक्ष की ओर से नहीं दी गई है।
- 23— अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से सफल रहा है कि दिनांक—27.08.06 को करीबन—06:00 बजे प्राणपुर के पास राजघाट रोड तरफ आर्टिकल A का कट्टा व आर्टिकल B का राउण्ड को अभियुक्त बिना किसी वैद्य अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखे हुये पाया गया।
- 24— फलस्वरूप अभियुक्त शेरसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह बुंदेला के विरूद्ध आयुद्ध अधिनियम की धारा— 25 (1—B) (A) के आरोप साबित होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त शेरसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह बुंदेला को आयुद्ध अधिनियम की धारा—25 (1—B) (A) के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष सिद्ध घोषित किया जाता है।
- 25— अभियुक्त की आयु अपराध की प्रकृति, गंभीरता एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये अभियुक्त को आपराधिक परिवेक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है निर्णय दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेत् स्थिगित किया जाता है।

निर्णय कुछ देर बाद पेश हो।

(असिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

26— दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त तथा उसके विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनके द्वारा व्यक्त किया गया अभियुक्त गरीब व्यक्ति है तथा अभियुक्त प्रकरण में नियमित उपस्थित हुआ है इसलिये दण्ड देते समय सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाये। अभियुक्त के आधिपत्य से कट्टा व कारतूस जप्त हुआ है जिसको रखने का उसके पास लाईसेंस नही था। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी वैद्य अनुज्ञप्ति के कट्टा व कारतूस सार्वजिनक स्थान पर लेकर घुमेगा तो निश्चित रूप से आम जनता में भय व्याप्त होगा तथा असुरक्षा की भावना बढेंगी एवं आपराधिक गतिविधियों को बढावा मिलेगा। अभियुक्त द्वारा किया गया कृत्य सहानभूति रखने योग्य नही है जिसकों देखते हुये अभियुक्त शेरसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह को आयुद्ध अधिनियम की धारा 25 (1–B) (A) के अपराध का दोषी पाते हुये उक्त अपराध के आरोप में 1 वर्ष (एक वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 200/— रूपये (दो सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 7 दिवस (सात दिवस) का पृथक से साधारण कारावास भुगताया जावे।

27— अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अविध दण्ड में समायोजित की जावे धारा—428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा कट्टा व कारतूस बाद मियाद अपील, अपील न होने की दशा में जिला दण्डाधिकारी को विधिवत् निराकरण के लिये भेजा जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)